रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230662
CG-DL-E-23102021-230662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
No. 499] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/43/16-डीडी/46/आईएनएफ/16-डीसी/834/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. एस. शंकर (सदस्यता संख्या 040476), 1-ए, श्रीवरी श्रेष्ठ, 309, वेस्ट पेरियासामी रोड, आर एस पुरम, कोयंबटूर 641 002** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त **सीए. एस. शंकर (सदस्यता संख्या 040476)** के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के भुगतान करने में व्यतिक्रम के मामले में उसका नाम अतिरिक्त 1(एक) मास की अतिरिक्त अवधि के लिए हटा दिया जाएगा। चूंकि प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का भुगतान करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि **सीए. एस. शंकर (सदस्यता संख्या 040476) का नाम, 22 अक्तूबर, 2021 से 07 (सात) मास की समेकित अवधि [6 (छह) मास और अतिरिक्त 1 (एक) मास] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./363/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/43/16-DD/46/INF/16-DC/834/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. S Shankar (Membership No. 040476), 1-A, Srivari Shresht, 309, West Periasamy Road, R S Puram, COIMBATORE 641 002,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. S Shankar (Membership No. 040476),** from the Register of Members for a period of 06(Six) months and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand) only to be paid within 30 days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for additional 1(one) month period. Since the Respondent failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid decision of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. S Shankar (Membership No. 040476), shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 07(Seven) months [6(six) months plus additional 1(one) month] with effect from 22nd October, 2021.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./363/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.23 11:30:19 +05'30'